


हैं। अतः अप्राथी के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि चक चक 74 आरबी के खाता सं. 88 में दर्ज मु.नं. 27,80 की कुल 2.340 है. नहरी मय खाला भूमि पर आगामी तारीख पेशी 16.11.2022 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

- अधिवक्ता प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करें।
- रास्ता/खाला के विवाद पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा।
- डी.आई.एल.आर.एम.पी के कार्यों व बैंक ऋण वसूली(राको रोडा) पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा।
- अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस हेतु दो से ज्यादा अवसर चाहे जाने अथवा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नहीं किये जाने पर यह अंतरिम आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

वकील प्रार्थी अप्राथीगण की तलबी हेतु नोटिस तलवाना मय रजि. एडी व लिफाफा प्रस्तुत करें, एवं तलबी जारी करवा रजिस्टर्ड रसीद प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 16.11.2022 को पेश हो।


(सुभाष चन्द्र)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

16/11/2022 वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी के बीच उपरोक्त प्रार्थी वकील
मिशन कि प्रकरण में राजीनामा होना
पलाना नहीं लाएते है अतः प्रार्थी को प्रार्थी
पर पेशी करने की अनुमति दी जाती है प्रार्थी
पर कि आधार पर जाकि किता जाता है तथा
-नालाकन द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक
16/11/2022 की निरस्त किता जाता है पत्रावली
मिसल में शुभानु देवर मूल 98 नं.लेख

प्रमाण प्रमाणिकता
की प्रमाणिकता
से प्रमाणिकता
प्रमाणिकता
16.11.22

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

